संख्या 13018/1/86-स्था0(छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अप्रैल, 1986

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- प्रसूति छुट्टी की मंजूरी ।

...

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43 के अधीन छुट्टी की मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी महिला सरकारी कर्मचारी को प्रसूति छुट्टी मंजूर की जा सकती है बशर्ते कि इस सम्बन्ध में उक्त नियम में दी गई शर्तों की पूर्ति हो जाती हो । इस संबंध में इस विभाग को इस आशय का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि क्या किसी अविवाहित महिला सरकारी कर्मचारी को भी प्रसूति छुट्टी मंजूर की जा सकती है ।

2. तदनुसार इस मामले पर इस विभाग द्वारा विचार किया गया है तथा यह पाया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में "महिला" शब्द में महिला के वैवाहिक स्तर का कोई विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है और न ही "महिला" शब्द से पहले "विवाहित" शब्द जोड़ा जाता है । अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि इस नियम में इस सम्बन्ध में कोई भेद-भाव नहीं रखा गया है इसलिए यथा अनुज्ञेय प्रसूति छुट्टी किसी अविवाहित महिला सरकारी कर्मचारी को भी मंजूर की जा सकती है । इसके अलावा, उक्त छुट्टी की मंजूरी देते समय जबकि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली के नियम 43 में दी गई शर्तों को उचित महत्त्व दिया जाना चाहिए फिर भी जच्चा-बच्चा के कल्याण को भी, जो कि एक बुनियादी महत्त्व की बात है, ध्यान में रखा जाएगा ।

(एस. एस. राव)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)